निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

"सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 16/09/2009 का कार्यवाही विवरण"

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अधीन कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 16/09/09 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गई। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। **जिन सहायक लेखाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओ नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) द्वारा जारी किया जायगा।** बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :-

क्र.सं.	बिन्दू जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	निर्धारित प्रपत्र 1 से 8 की सूचना व व्यय मानचित्र, व भुगतान बजट प्रावधान बाबत	सूचनाओं यथा (प्रपत्र 1 से 8) व्यय विवरण, अनुपयोगी सामान के निस्तारण, पेंशन प्रकरण, भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र इत्यादि के प्रेषण में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सलाहकार महोदय ने निर्देश दिये कि आगामी माह में सभी अधीनस्थ कार्यालयों के सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मी सूचनाएं हार्ड कॉपी के साथ कम्प्यूटर सीडी में तैयार कर 5 तारीख तक संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तथा सहायक लेखाधिकारी संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय प्राप्त सूचना को संकलित कर मय कम्प्यूटर सीडी के साथ माहवारी बैठक से पूर्व वित्तीय सलाहकार महोदय को भिजवायेगें एवं इसकी एक प्रति बैठक के दौरान साथ लेकर आयेंगे।	(1) समस्त संयुक्त निदशेक एवं सहायक लेखाधिकारी जोन व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यालय।
2.	अनुपयोगी/बेसी वाहनों एवं सामानों के सर्वे एवं निस्तारण संबंधी सूचना बाबत	जयपुर जोन में 03 वाहनों का सर्वे बकाया है जबकि दो वाहन सर्वेशुदा है जिनको नाकारा घोषित कराया जाना है। गत माह तक 7 वाहनों का पूर्ण निस्तारण किया गया। अब 5 अक्टूबर तक इन 3 वाहनों का सर्वे कराकर सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाकर इन सभी 5 वाहनों को नाकारा घोषित कराया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृति पश्चात इन्हें मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही 15 अक्टूबर 2009 तक करना सुनिश्चित करें।	श्री शौकत अली, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन जयपुर सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा.अ., से समन्वय कर कार्यवाही करायेंगे।
		अजमेर जोन में 2 वाहनों का सर्वे बकाया है सर्वेशुदा 23 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना बाकी है। दो वाहनों का सर्वे 30 सितम्बर 2009 तक कराना सुनिश्चित करें एवं सर्वे के बाद इनको नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 5 अक्टूबर 2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। नाकारा घोषित वाहनों को 15 अक्टूबर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराना अथवा यथास्थान नीलाम करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। सर्वेशुदा 23 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव जिन अधिकारी के पास लम्बित है उसकी सूचना अ.शा. पत्र द्वारा 25 सितम्बर 2009 तक दी जावे।	श्री महेन्द्र कुमार बंसल, स.ले., एवं संयुक्त निदेशक जोन अजमेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

		भरतपुर जोन में 16 वाहनों का सर्वे किया जाना बकाया है यह सर्वे कार्य 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जावे एवं इनको नाकारा घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 5 अक्टूबर 2009 तक भिजवना सुनिश्चित करें। सर्वेशुदा 22 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना बकाया है इनके प्रस्ताव किस अधिकारी के यहां लम्बित है अ.शा. पत्र द्वारा सूचना दिनांक 25 सितम्बर तक दी जावे। जैसे ही वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होती है वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। जोन में नाकारा घोषित किये गये शेष 14 वाहनों को 30 सितम्बर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जावे या यथास्थान नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें।	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन भरतपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		जोधपुर जोन में 45 वाहनों का सर्वे बकाया है यह सर्वे कार्य 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जावे एवं इनको नाकारा घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 5 अक्टूबर 2009 तक भिजवना सुनिश्चित करें। सर्वेशुदा 20 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना बकाया है इनके प्रस्ताव किस अधिकारी के यहां लम्बित है अ.शा. पत्र द्वारा सूचना दिनांक 25 सितम्बर तक दी जावे। जैसे ही वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होती है वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। जोन में अब तक नाकारा घोषित किये गये शेष 12 वाहनों को 30 सितम्बर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जावे या यथास्थान नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें।	श्री श्याम सुन्दर किराडू, सहा. लेखा. कार्या. मु.चि.एवं स्व. अधि. बीकानेर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे। श्री राम प्रकाश शर्मा, सहा. लेखाधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, जोन–जोधपुर सम्बन्धित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		बीकानेर जोन में 5 वाहनों का सर्वे किया जाना बकाया है यह सर्वे कार्य 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जावे एवं इनको नाकारा घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 5 अक्टूबर 2009 तक भिजवना सुनिश्चित करें। सर्वेशुदा 22 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाना बकाया है इनके प्रस्ताव किस अधिकारी के यहां लम्बित है अ.शा. पत्र द्वारा सूचना दिनांक 25 सितम्बर तक दी जावे। जैसे ही वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होती है वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। जोन में अब तक नाकारा घोषित किये गये सभी 16 वाहनों को 30 सितम्बर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जावे या यथास्थान नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें।	श्री भैरुलाल छगांनी, सहा. लेखा. मु.चि. एवं. स्वा. अधि. एवं संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे। श्री राम प्रकाश शर्मा, सहा. लेखाधिकारी श्री श्याम सुन्दर किराडू, सहा. लेखाधिकारी
		उदयपुर जोन में 25 वाहनों का सर्वे किया जाना बकाया है यह सर्वे कार्य 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जावे एवं इनको नाकारा घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 5 अक्टूबर 2009 तक भिजवना सुनिश्चित करें। सर्वेशुदा 32 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाने के प्रस्ताव किस अधिकारी के यहां लम्बित है अ.शा. पत्र द्वारा सूचना दिनांक 25 सितम्बर तक दी जावे। जैसे ही वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है इन वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। जोन में अब तक	श्री अजय कुमार भार्गव स.ले., एवं संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

		नाकारा घोषित किये गये सभी 35 वाहनों को 30 सितम्बर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जावे या यथास्थान नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें।	
		कोटा जोन में सभी वाहनों का सर्वे हो चुका है। सर्वेशुदा 9 वाहनों को नाकारा घोषित किया जाने के प्रस्ताव किस कार्यालय में लम्बित है इसकी सूचना अ.शा. पत्र द्वारा दिनांक 25 सितम्बर तक दी जावे। जैसे ही वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है इन वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जोन में अब तक नाकारा घोषित शेष 27 वाहनों को 30 सितम्बर तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जावे या यथास्थान नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें।	श्री मनोहरलाल, स.ले., एवं संयुक्त निदेशक जोन कोटा संबंधित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में अनुपयोगी सामानों की सूचियां यथा (1) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण हो चूकी है। (2) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं हुई है। (3) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है। (4) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण कर ली है। (5) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं की है। (6) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है, उक्त समस्त श्रेणी की सूचियां दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक पूर्ण की जावें अपने स्वयं के कार्यालय की 10 अक्टूबर 2009 तक पूर्ण की जावे । ताकि इनके निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके। सूचियां तैयार होते ही इन सामानों का सर्वे हेतु कमेटी सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम पार्ट– II के नियम 18 के अनुसार एवं वित्त विभाग के परिपत्र कमांकः प 6 (1) वित्त/सां.वि.ले.नि./2005 दिनांक 21.05.09 के अुनसार गठन किया जावें।	समस्त सहायक लेखाधिकारी एवं समस्त कार्यालयाध्यक्ष
3.	भौतिक सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वर्ष 2008–09 का का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जोन कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं निदेशालय का प्राप्त हो गया है। भरतपुर, उदयपुर व जयपुर का प्रमाण–पत्र प्राप्त होना बकाया है। अतः दिनांक 30/09/2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।	संयुक्त निदेशक जोन भरतपुर, उदयपुर व जयपुर तथा सहा. लेखाधिकारी जोन, एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) समन्वय करेंगे।
4.	स्टोर एवं स्टॉक संबंधी प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वर्ष 2008–09 का स्टोर एवं स्टॉक लेखा प्रमाण पत्र जोन उदयपुर एवं निदेशालय का प्राप्त होना बकाया है। अतः दिनांक 30/09/2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।	सहायक लेखाधिकारी, उदयपुर, जयपुर एवं निदेशालय संयुक्त निदेशक जोन तथा श्री किशनलाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी निदेशालय समन्वय करेंगे।

5.	महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप	जिन कार्यालयों द्वारा महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों, आन्तरिक जांच एवं विशेष जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की प्रथम अनुपालना नही भिजवायी है वे अनुपालनाऐं तैयार कर दिनांक 10 अक्टूबर 2009 तक वित्तीय सलाहकार (जन. स्वा.) को आवश्यक रुप से भिजवायेंगे। महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना आवश्यक रूप से भिजवाए। जयपुर प्रथम एवं द्वितीय एवं झुन्झुनू को विशेष जांच रिपोर्ट की पालना 29/09/2009 को निदेशालय में लेकर आयेगे। जोधपुर जोन की विशेष जांच प्रतिवेदनों की पालना 30/09/2009 को एवं कोटा जोन का 01/10/2009 को निदेशालय लेकर आयेंगे। मीटिंग में पेंशन केसेज एवं मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति प्रकरण प्रपत्र 1, 4, 8 की सूचना भी सी.डी. में प्रस्तुत की जावे। जोन स्तर से हार्ड कॉपी भी साथ लेवे।	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि., एवं समस्त स.ले., संयुक्त निदेशक (जोन) एवं श्री किशन लाल शर्मा, श्री पी. डी. वर्मा, सहायक लेखाधिकारी, अंकेक्षण समन्वय करेंगे।
		प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुवा महालेखाकार की जांच रिपोर्ट 4/05 से 3/08 एवं आंतरिक जांच रिर्पोर्ट 11/95 से 3/07 की अनुपालना नही भिजवा रहे है। अतः वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) मुख्यालय अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर उक्त अनुपालना दिनांक 10 सितम्बर 2009 तक आवश्यक रुप से मंगवायें जाने की कार्यवाही करेंगे।	डॉ. होशियार सिंह, व. ले. (ऑडिट) मुख्यालय।
6.	बकाया पेन्शन प्रकरण	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की प्रपत्र 1, 4, 8 तथा अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) की प्रपत्र 1 व 4 की पेन्शन सूचना अप्राप्त है। जयपुर जोन में 71 पेंशन केस पेन्डिंग है। माह में निस्तारण बहुत कम हुए है। 10 अक्टूबर 2009 तक फोन पर इनकी प्रगति बतायेंगे। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक, जोन–जोधपुर का मांह मई 2009 से प्रपत्र 1, 4, व 8 की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है इससे पेन्शन की सूचना का संकलन करने में कठिनाई आती है तथा समय पर पेन्शनरों के प्रकरण तथा मृत आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अरापत्रित) मुख्यालय। संयुक्त निदशेक (जोन) जोधपुर एवं जयपुर सहायक लेखाधिकारी जयपुर जोन।
7.	चोरी गबन प्रकरण	दिनांक 19/08/2009 की मासिक मीटिंग में किसी भी जिले से चोरी गबन के प्रकरणों की तथ्यात्मक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। यह आगामी मीटिंग 22/10/2009 को व्यक्तिशः लेकर आवे। महालेखाकार के यहां पंजीकृत चोरी गबन केसेज की सूची संलग्न है। परिशिष्ठ 3, 4	समस्त संयुक्त निदेशक –जोन एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं समस्त सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं जोन कार्यालय।
8.	विशेष जांच प्रतिवेदन	विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु जोन स्तर पर केम्प आयोजित होगें। माह अक्टूबर 2009 में जोन उदयपुर एवं जोन भरतपुर में रखे जायेंगे जिनकी तिथियां अलग से सूचित कर दी जायेगी सभी आन्तरिक जांच, विशेष जांच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की अनुपालनाएं तैयार कर केम्पों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	संयुक्त निदेशक जोन–भरतपुर एवं उदयपुर एवं श्री अजय भार्गव, सहा. लेखाधिकारी, श्री योगेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी

9.	सामान्य बिन्दु	1. जिन लेखा कार्मिकों ने अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं दी है वे 3 अक्टूबर 2009 तक आवश्यक रूप से मूल्यांकन हेतु निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगें	समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
		2. वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतू आंवटित बजट राशि का आनुपातिक रूप से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें किसी प्रकार के क्लेम बकाया नहीं रखे। क्लेम बकाया होने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग करें।	समस्त सहायक लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं जोन कार्यालय।
		3. चिकित्सा व्यय एवं यात्रा भत्ता के बिलों हेतु भुगतान प्राथमिकता रजिस्टर (जी.ए.–66) के अनुसार संधारित किया जाकर वरियता अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।	–यथा–
		4. आय–व्ययक अनुमान 2010–2011 एवं संशोधित अनुमान 2009–10 सभी कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित तिथि पर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। आय व्यय अनुमानों के साथ रिक्त पदों का विवरण जिसमें पद किस तिथि से रिक्त है उसका अवश्य उल्लेख करें।	– यथा –
		5. आन्तरिक जांच दल के कार्मिको के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जायें।	–यथा–
		6. भेषज एवं औषधियों और औजार एवं उपकरणों के कय के मामलों में सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी, भण्डार कय संगठन, (निदेशालय) से जारी परिपत्र कमांक 2346 दिनांक 16/07/2007 की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।	–यथा–
		7. अस्पताल परिसर के राजकीय आवासों के आंवटन की नीति की कार्यवाही प्रकियाधीन है। अतः भविष्य में आवासों का आवंटन तदनुसार किया जावें।	–यथा–
		8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर चिकित्सालय परिसरों में संचालित उपभोक्ता संघ की दूकानों का किराया निर्धारण कराकर किराये की वसूली किया जाना सुनिश्चित करेगें।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नागौर
		9. निदेशक महोदय (जन स्वा.) ने जिले में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष को नियमों के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करे, कर्मचारियों के क्लेम एवं बकाया कार्यो को त्वरित गति से निपटाए एवं जिले की संस्थाओं में वित्तीय नियंत्रण रखते हुए कम से कम 2–3 संस्थाओं का निरीक्षण करे एवं अनियमितताएं होने से रोके। आवश्यक रेकार्ड के रख–रखाव हेतु निर्देशित करे एवं संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।	समस्त सहा. लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं मु. चि. एवं स्वा. अधि.
		10. निदेशक महोदय (प.क.) ने चाहा है कि जिले में एन. आर.एच.एम. से संबंधित कार्यों की पत्रावलियां सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से रूट होगी। यदि किसी जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही हो तो उन्हें अवगत करायेंगे। एन.आर.एच.एम. के कार्यों में सहायक लेखाधिकारी पूर्ण सहयोग करे तथा संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। भ्रमण हेतु वाहन एन.आर.एच.एम. से उपलब्ध कराने के लिये	–यथा–

		परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। पुराने वाहनों एवं सामानों के निस्तारण व एम.आर.एस. में प्राप्तियों की विशेष निगरानी की जावें।	
		11. सेवानिवृत्त DE/PE Pending कार्मिकों को नियमानुसार प्रोविजनल पेन्शन दिलवाने की संबंधित कार्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा सेवानिवृत कार्मिको को पेंशन कुलक आदि की कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा पंजीकृत पत्र लिखा जावे एवं समय-समय पर निदेशालय को भी सूचित किया जावे।	समस्त मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं समस्त सहायक लेखाधिकारी (मु.चि. एवं स्वा.अधि.)
		12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्तर पर सभी कार्यालयाध्यक्ष की मासिक मीटिंग बुलाई जावे जिसमें वे अपने कार्यालय की सभी निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की अनुपालना लेकर आवे एवं सभी निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालनाओं को संकलित कर इन्हें निदेशालय में सहायक लेखाधिकारी निदेशालय मीटिंग में लेकर आवे।	सभी मु. चि. एवं स्वा. अधि. एवं सभी सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मु. चि. एवं स्वा. अधि.
		13. जिन कार्यालयों में अनुपयोगी वाहनों, सामानों का निस्तारण हो गया है एवं उनसे संबंधित किसी भी प्रतिवेदन में आक्षेप है तो उसकी अनुपालना तुरन्त भेजी जावे।	सभी मु. चि. एवं स्वा. अधि. एवं सभी सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मु. चि. एवं स्वा. अधि.
		14. उदयपुर वाटी के पूर्व स्टोर कीपर से कम संभलवाये गये सामान की कीमत निर्धारित कर वसूली प्रारम्भ की जावे।	मु. चि. एवं स्वा. अधि. झुन्झुनू एवं सहा. लेखा. काया. मु. चि. एवं स्वा. अधि.

आगामी मासिक बैठक दिनांक 22/10/2009 को 11 बजे "मध्यान्ह-पूर्व" आयोजित की जावेगी जिसका ऐजेण्डा पूर्व पत्र क्रमांक लेखा/मु./मा.मि./2008/986 दिनांक 05.08.08 द्वारा प्रेषित अनुसार यथावत रहेगा।

बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

सलंग्न : पृष्ठ –

(हरीश कुमार [illegible]नी)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
फोन नं. 0141-2221965

क्रमांक :लेखा/बैठक/09/6219-6313 दिनांक 29.9.09

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आर.एच.एस.डी.पी./मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आई.ई.सी. मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. डॉ. एस. के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थिति वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ।
11. सहायक लेखाधिकारी, बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार, मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सर्वर, कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब-साइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. केयर टेकर, (कृपया दिनांक 22/10/2009 को प्रातः 11.00 बजे से हॉल से आरक्षित करें।)
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर **समेकित प्रपत्र – 7अ**

जोन में **अनुमानित** चालू व नाकारा घोषित वाहनों का विवरण

(वर्ष 1/04/2009 से 31.08.2009 तक)

कार्यालय का नाम : निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर (वित्तीय वर्ष 2009–10)

क्र. सं.	जोन के अन्तर्गत जिला मु.चि. एवं स्वा. अधि. / प्रमुख चि. अ. कार्यालय का नाम	ऑन रोड वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	ऑफ रोड/ दुर्घटनाग्रस्त अनुमानित नवीन वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	इस माह तक प्राप्त वाहनों की संख्या व स्त्रोत	जोन में वाहनों की कुल संख्या (3+4+5)	ऑफ रोड वाहनों में से सर्वे शुदा वाहनों की संख्या	सर्वे हेतु बकाया वाहनों की संख्या (4–7)	इस माह तक नाकारा घोषित किये वाहनों की संख्या	सर्वेशुदा अनुपयोगी घोषित होने वाले बकाया कुल वाहन (7–9)	मोटर गैराज में जमा कराये वाहनों की संख्या	कमेटी द्वारा नीलाम किये वाहनों की संख्या	कुल निस्तारित वाहनों की संख्या (11+12)	मोटर गैराज में जमा हेतु अथवा कमेटी द्वारा नीलामी हेतु बकाया वाहनों की संख्या (9–13)	मोटर गैराज से प्राप्त आय (राशि रु.)	कमेठी द्वारा नीलामी से प्राप्त आय (राशि रु.)	कुल प्राप्त आय (15+16) (राशि लाखों में रु.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	जोधपुर	179	104	17	300	59	45	39	20	10	17	27	12	–	471124	471124
2.	बीकानेर	99	43	–	142	38	05	16	22	–	–	–	16	–	–	–
3.	भरतपुर	80	53	–	133	37	16	17	20	–	03	03	14	–	88920	88920
4.	कोटा	112	40	–	152	40	–	31	09	04	–	04	27	–	–	–
5.	उदयपुर	160	92	03	255	67	25	35	32	–	–	–	35	–	–	–
6.	जयपुर	131	13	–	144	10	03	08	02	06	01	07	01	–	48408	48408
7.	अजमेर	119	53	01	173	51	02	28	25	28	–	28	–	–	–	–
	कुल योग :–	880	398	21	1299	302	96	174	128	48	21	69	105	–	608452	608452

सहायक लेखाधिकारी
कार्या. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,

अनुपयोगी/सरप्लस/अप्रचलित सामानों के निस्तारण की सूचना

(दिनांक 01/04/2009 से 31.08.2009 तक)

प्र प त्र – 3

(वर्ष 2009–10)

क्र.सं.	कार्यालयों का नाम	निस्तारित योग्य सामान का पुस्तक मूल्य	निस्तारण का प्रकार		अन्य प्रकार से निस्तारण	निस्तारण से आय		वर्ष 2009–10 की कुल आय	विशेष विवरण
			नीलामी राशि	नष्टीकरण राशि		मूल्य	बिक्री कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जोधपुर	9,51,137	7,03,171	2,47,966	–	1,12,100	4,484	1,16,584	
2.	बीकानेर	30,59,546	19,46,739	11,12,807	–	2,38,169	11,619	2,49,788	–
3.	भरतपुर	2,41,850	1,22,312	1,19,538	–	–	–	–	नीलामी होनी है
4.	कोटा	16,38,284	9,95,444	6,42,840	–	1,33,476	5,339	1,38,815	–
5.	जयपुर	5,48,741	4,46,036	1,02,705	–	1,33,392	5,344	1,38,736	–
6.	उदयपुर	4,20,017	1,84,494	2,35,523	–	45,752	1,284	47,036	–
7.	अजमेर	10,31,544	8,17,632	2,13,912	–	91,128	3,682	94,810	–
	कुल योग :–	78,91,119	52,15,828	26,75,291	–	7,54,017	31,752	7,85,769	

नोट :– वर्ष 2008–09 में कुल निस्तारित अनुपयोगी सामान का पुस्तक मूल्य रुपये 194 लाख रुपये के निस्तारण से राशि रुपये 29.15 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

सहायक लेखाधिकारी
कार्या. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक

निदेशालय में आयोजित – मासिक मीटिंग दिनांक 16/09/2009 को उपस्थित सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार

(उपस्थिति प्रमाण–पत्र)

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.		दूरभाष नं.		कार्यालय का नाम	उपस्थिति विवरण
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
1.	श्री दिनेश भारद्वाज, स.ले.	9829815786	0141–2226100		संयुक्त निदेशक, चि. एवं. स्वा. जोन–जयपुर	उपस्थित
2.	श्री एम. के. बंसल, स.ले.	9252160380	0145–2627621		संयुक्त निदेशक, अजमेर	उपस्थित
3.	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, स.ले.	9414320526	05644–225152		संयुक्त निदेशक, भरतपुर	उपस्थित
4.	श्री भैरू रतन छंगानी, स0ले0	9414203308	151–2226339		संयुक्त निदेशक, बीकानेर	अनुपस्थित
5.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.(अ.कार्यभार)	9414913864	0291–2721436	0291–2543003	संयुक्त निदेशक, जोधपुर	
6.	श्री मनोहर लाल शर्मा, स.ले.	9928654910	0744–2320961		संयुक्त निदेशक, कोटा	
7.	श्री अजय कुमार भार्गव, स.ले.	9460257748	0294–2422017		संयुक्त निदेशक, उदयपुर	अनुपस्थित
8.	श्री शौकत अली, स.ले.	9829258734	0141–2605858		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर–I	
9.	श्री रविप्रकाश शर्मा, स.ले.	9887600581	0141–2603426		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर–II	
10.	श्री एम. एल. बंटबाड़ा, स.ले.	9828234846	0144–2340145		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अलवर	
11.	श्री आर. एल. मीणा, स.ले.	9414820154	01427–230077		मु. चि. एवं स्वा. अधि, दौसा	
12.	श्री जे. पी. यादव, स.ले.		01572–270446	01572–253836	मु. चि. एवं स्वा. अधि, सीकर	प्रतिनिधि
13.	श्री गुगन राम, स.ले.	9414801431	01592–232415	01592–233115	मु. चि. एवं स्वा. अधि, झुन्झुनू	
14.	श्री एस.आर. चौहान, स.ले.	9829292139	0145–2631111		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अजमेर	
15.	श्री नरेन्द्र व्यास, स.ले.	9001898600	01582–240844		मु. चि. एवं स्वा. अधि, नागौर	प्रतिनिधि
16.	श्री रमेश मण्डोरा, स.ले.	9214631670	01482–235643		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भीलवाडा	प्रतिनिधि
17.	श्री ताराचन्द अग्रवाल, स.ले.	9414868911	01432–244099		मु. चि. एवं स्वा. अधि, टोंक	
18.	श्री सतीश चन्द जैन, स.ले.		05644–223660		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भरतपुर	स्वैच्छिक से.नि. – प्रतिनिधि
19.	श्री महेश चन्द गुप्ता, स.ले.	9887453489	07464–220150	07469–209983	मु. चि. एवं स्वा. अधि, करौली	अनुपस्थित
20.	श्री सुभाष चन्द गौतम, स.ले.	9785927878	05642–220733	9785927878	मु. चि. एवं स्वा. अधि, धौलपुर	
21.	श्री कमलेश अग्रवाल, स.ले.	9413023916	07462–235011		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सवाईमाधोपुर	अनुपस्थित
22.	श्री श्याम सुन्दर किराड़ू, स.ले.	9950214704	0151–2226341		मु. चि. एवं स्वा. अधि, बीकानेर	

23.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, स.ले.	9352715688	01562–222038		मु. चि. एवं स्वा. अधि, रतनगढ़ (चुरू)	
24.	श्री वी.एम. कुक्कड, स.ले.	9828569622	0154–2445071		मु. चि. एवं स्वा. अधि, श्रीगंगानगर	
25.	श्री लीलाधर शर्मा, स.ले.	9887871921	01552–261190		मु. चि. एवं स्वा. अधि, हनुमानगढ़	
26.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.	9414913864	0291–2721436		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जोधपुर	
27.	श्री श्याम लाल पंवार, क.ले.	9460806577	02992–251792		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जैसलमेर	
28.	श्री मांगीलाल, क.लि.	9982027841	02982–230462	02982–230462	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बाडमेर	
29.	श्री रतनाराम चौधरी, लेखाकार(अ. कार्यभार)	9414526154	02973–258555		मु. चि. एवं स्वा. अधि, पाली	अनुपस्थित
30.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, स.ले.	9414544449	02972–222259		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सिरोही	अनुमत
31.	श्री भंवरलाल स.ले.	9799493555	02973–222246		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जालौर	
32.	श्री एन. के. बैरवा, स.ले.	9414991011	0744–2450374		मु. चि. एवं स्वा. अधि, कोटा	
33	श्री	9414066632	07453–230451	07453–230332	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांरा	अनुपस्थित
34.	श्री महावीर प्रसाद गोयल, स.ले.		0747–2442895	0747–2447076	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बूंदी	
35.	श्री श्याम लाल मीणा , लेखाकार, जोन–कोटा (अतिरिक्त कार्यभार)	9928462032	07432–230009		मु. चि. एवं स्वा. अधि, झालावाड़	अनुपस्थित
36.	श्री अजय कुमार भागर्व, स.ले. (अ. कार्यभार)	9413174655	0294–2415538	0294–2526666	मु. चि. एवं स्वा. अधि, उदयपुर	प्रतिनिधि
37.	श्री जगदीश भावसर, स.ले.	9983540585	02962–251303	9414307100	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांसवाड़ा	प्रतिनिधि
38.	श्री करण सिंह राव, स.ले.	9414723790	02964–232486	02964–231182	मु. चि. एवं स्वा. अधि, डूंगरपुर	प्रतिनिधि
39.	श्री विमल कुमार पाटनी, स.ले. (PHED), अतिरिक्त कार्यभार	9413275418	01472–243418	9413604565	मु. चि. एवं स्वा. अधि, चित्तौडगढ़	प्रतिनिधि
40.	श्री गोपाल लाल, स.ले.	9414872014	01476–222564	01478–223368	मु. चि. एवं स्वा. अधि, प्रतापगढ़	
41.	श्री एम. बी. तमोली स.ले.	9460612243	02952–221716		मु. चि. एवं स्वा. अधि, राजसमन्द	

नोट :– 1. उपरोक्त उपस्थिति विवरण ही उपस्थिति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान, जयपुर

as on 30-6-01

(13)

परिशिष्ट-5

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान, जयपुर

विभाग के महालेखाकार कार्यालय में पंजीकृत चोरी प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	महालेखाकार में पंजीकृत प्रकरण सं.	कार्यालय का नाम	राशि
1	89	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	0
2	109	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	381422
3	187	प्रा. स्वा. केन्द्र, हिण्डौनसिटि (सवाई माधोपुर)	43466
4	321	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) भरतपुर	0
5	1427	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	343500
6	1440	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	89322
7	1442	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली	362526
8	1537	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अकलेरा (झालावाड)	853627
9	1570	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेगू (चितोड़गढ़)	7800
10	1689	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग, (भरतपुर)	60000
11	1816	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रा.चि. झालावाड	19000
12	1903	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां	16233
13	1636	ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दग, कांकरोली, (राजसमंद) (प.क.)	7230
14	1888	महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	90000
		योग	22274126

as on 30.6.09 (20)

परिशिष्ठ 4 (12)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

विभाग से सम्बन्धित गबन प्रकरणों की सूची जिन पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है

क्र.सं.	एजी केस नं.	कार्यालय का नाम	राशि (रुपयों में)	
1	1813	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ	53505	प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन
2	2334	क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर	38444	[illegible]
3	2654	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	202064	विभागीय जांच लम्बित
4	2675	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	141506	— do —
5	2685	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	949145	— do —
6	2834	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नागौर	20073	वसूली हेतु लिखा गया
7	2881	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई (बून्दी)	20000	न्यायालय के विचाराधीन
8	2924	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगू (चित्तोडगढ)	56177	— do —
9	2929	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ	377590	— do —
10	~~2399~~ 2930	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमनौर	100022	— do —
11	2939	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड शहर	30288	विभागीय जांच की जा रही है
12	2940	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) जोधपुर	105860	वसूली की कार्यवाही की जा रही है
13	2947	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	6792	विभागीय कार्यवाही जारी
14	3050	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डली (बाडमेर)	252855	वसूली की कार्यवाही जारी
15	3066	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) सीकर	2630	न्यायालय के विचाराधीन
16	3069	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साखू (चूरू)	21185	प्रकरण समाप्त हो चुका है
17	3087	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन (सीकर)	362127	न्यायालय के विचाराधीन
18	3169	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावर (अलवर)	187338	— do —
19	3177	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फूलियाकलां, (भीलवाडा)	1395636	— do —
20	3182	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय (टोंक)	82410	[illegible] न्यायालय के विचाराधीन
21	3183	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलोदी	722500	विभागीय जांच लम्बित
22	3235	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा, (हनुमानगढ)	30414	— do —
23	3317	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	3297835	न्यायालय के विचाराधीन
24	3323	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राजगढ)	570867	— do —
25	3324	व.चि. अधिकारी, सामु.स्वा. केन्द्र,डूंगला (प्रतापगढ)	12507	— do —
26	3334	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाडा, बारां	60688	— do —
27	3344	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहबाद, बारां	816252	— do —
		योग	9916710	

[illegible] - 17-09-09

प्रपत्र-1

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
जोन स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2009-10)

माह अगस्त वर्ष 2009

क.सं.	कार्यालय का नाम	केटेगरी	माह के प्रारम्भ में बकाया	माह में दर्ज नवीन प्रकरण	कुल प्रकरण	माह में निस्तारित प्रकरणों की संख्या	माह के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या	बकाया प्रकरणों का वर्गीकरण: कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर	जोन स्तर पर	निदेशालय स्तर पर	राज्य सरकार स्तर पर	पेंशन विभाग स्तर पर
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6-7]=[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.	जयपुर	राजपत्रित	07	-	07	01	06	02	-	02	-	02
		अराजपत्रित	64	-	64	03	61	25	-	03	-	33
2.	जोधपुर	राजपत्रित	12	02	14	01	13	06	-	05	-	02
		अराजपत्रित	37	04	41	06	35	18	-	03	-	14
3.	अजमेर	राजपत्रित	16	01	17	-	17	02	-	10	03	02
		अराजपत्रित	68	06	74	05	69	49	-	06	-	14
4.	उदयपुर [illegible] माह जुलाई की सूचना	राजपत्रित	12	01	13	-	13	04	-	02	-	07
		अराजपत्रित	78	10	88	05	83	36	-	-	-	47
5.	कोटा	राजपत्रित	10	01	11	01	10	01	-	02	04	03
		अराजपत्रित	26	03	29	05	24	13	-	01	01	09
6.	बीकानेर	राजपत्रित	17	-	17	01	16	01	-	03	09	03
		अराजपत्रित	25	04	29	06	23	14	-	03	-	06
7.	भरतपुर	राजपत्रित	11	01	12	02	10	02	-	04	-	04
		अराजपत्रित	52	06	58	10	48	29	-	02	-	17
8.	अतिरिक्त निदेशक	राजपत्रित	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	अराजपत्रित	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :		435	39	474	46	428	202	-	46	17	163
	योग :-	राजपत्रित	85	06	91	06	85	18	-	28	16	23
	योग :-	अराजपत्रित	350	33	383	40	343	184	-	18	01	140

C:\Rajendra P&Sir AO Formats AO Sir\Copy of Corrected Formats (2).doc

ओगेंसा - 17.9.09

प्रपत्र–4

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
वर्ष 2009–10 से मार्च 2011 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी का विवरण

माह अगस्त वर्ष 2009-10.

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	31.03.2009 तक सेवानिवृत होने की संख्या	1.4.2009 से 31.03.2011 तक सेवानिवृत होने वालो की संख्या	कुल संख्या	कॉलम संख्या 3 के प्रकरणों में से पेंशन विभाग को भेजे गये प्रकरणों की संख्या	बकाया प्रकरणों की संख्या	विशेष विवरण
[1]	[2]	[3]	[4]	[3+4]=5	[6]	[3-6]=	[8]
1.	जयपुर	26	75	101	24	77	-
2.	जोधपुर	14	53	67	—	67	
3.	अजमेर	—	61	61	03	58	
4.	उदयपुर अप्राप्त	22	99	121	32	89	
5.	कोटा माह जुलाई 09	30	17	47	—	47	
6.	बीकानेर	69	—	69	—	69	
7.	भरतपुर	39	97	136	21	115	
8.	अ.नि. राजपत्रित	सूचना अप्राप्त	—	—	—	—	
9.	अ.नि. प्रशासन	सूचना अप्राप्त	—	—	—	—	
	योग :	200	402	602	80	522	

आहिंग 17.09

प्रपत्र-1

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

मुख्यालय तथा जोन स्तर पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के बकाया प्रकरणों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2009-10)

माह अगस्त वर्ष 2009-10

क.सं.	कार्यालय का नाम	1.4.09 को बकाया प्रकरणों की संख्या	1.4.09 से चालू माह तक प्राप्त नये प्रकरणों की संख्या	कुल बकाया प्रकरण	1.4.09 से चालू माह में जारी नियुक्ति आदेशों की संख्या	माह के अन्त में बकाया अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जिस स्तर से बकाया है का विवरण: कार्यालय स्तर पर	जोन स्तर पर	निदेशालय स्तर पर	राज्य सरकार स्तर पर
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.	जयपुर	03	—	03	—	03	01	—	02	—
2.	जोधपुर सूचना अप्राप्त		—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अजमेर	12	16	28	15	13	05	—	08	
4.	उदयपुर जुलाई 09 के अनुसार	19	06	25	05	20	—	16	—	04
5.	कोटा	05	07	12	01	11	—	—	11	—
6.	बीकानेर	19	03	22	05	17	05	—	12	—
7.	भरतपुर	17	06	23	03	20	04	—	13	03
8.	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)	सूचना अप्राप्त	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित)	सूचना अप्राप्त	—	—	—	—	—	—	—	—
योग :		75	38	113	29	84	15	16	46	07

C:\Rajendra P\Sir AO\Formats AO Sir\Copy of Corrected Formats (2).doc